बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–11226 / 2023, सुशील कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–05.12.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक–16.01.2024 को समर्पित अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में :–

19/03/2024

आदेश

याचिकाकर्ता सुशील कुमार, पिता–महेन्द्र राय, ग्राम–वृन्दावन, थाना– तरीयानी, जिला–शिवहर एवं उनके द्वारा प्राधिकृत अधिवक्ता मुकेश कुमार तथा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर उपस्थित।

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त इतिहास यह है कि ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, शिवहर के अधीन पी०एम०जी०एस०वाई० अन्तर्गत परमबसंत से नरहा मोड़ टोला (Package No. BR-32R-033) तक पथ का निर्माण कार्य संवेदक सुशील कुमार (निबंधन संख्या–1180248) को आवंटित था जिसका एकरारनामा संख्या:– SBD/PMGSY/02/2021-22 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 09.06.2021 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 08.06.2022 है। उक्त पथ के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं निरीक्षण के क्रम में पथ में पायी गयी त्रुटियों के निराकरण के संबंध में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर के पत्रांक 641 दिनांक 05.08.2021 एवं पत्रांक 1076 दिनांक 30.12.2021 द्वारा संवेदक को निदेशित किया गया परन्तु लिखित एवं मौखिक रूप से बार–बार निदेशित करने के बावजूद भी कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर के ज्ञापांक 137 दिनांक 14.02.2022 द्वारा प्रश्नगत कार्य के एकरारनामा को विखंडित करते हुए संवेदक के निबंधन को कालीसूची में डालने हेतु अनुशंसा के साथ प्रस्ताव विभाग को समर्पित किया गया। साथ ही मुख्य अभियंता–03, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक 3981 अनु0 दिनांक 15.12.2022 द्वारा भी संबंधित संवेदक के निबंधन को कालीसूची में डालने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव, अभिलेख एवं अनुशंसा के आलोक में विभागीय सम्यक विचारोपरान्त संवेदक सुशील कुमार (निबंधन संख्या–1180248) को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली के आलोक में विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 1121 दिनांक 20.02.2023 द्वारा अगले 10 वर्षो के लिए कालीकृत (Black list) किया गया। उक्त कालीकरण आदेश के विरूद्ध संवेदक सुशील कुमार द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में संदर्भित रिट याचिका सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–11226 / 2023, सुशील कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–05.12.2023 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

"21. The annexures on which the State has heavily relied upon nowhere shows the delivery of notice to the petitioner. Further, in view of the fact that the e-mail was sent on a wrong e-mail address which did not belong to the petitioner, we have no hesitation in accepting his claim that before passing the order in question, he was not allowed to submit his reply.

22. In the aforesaid circumstances, we are inclined to set aside the order/letter no. 1121 dated 17.02.2023 passed by the respondent no. 3, the Engineer-in-Chief of 'the Department'.

23. The respondent no. 3 shall re-hear the petitioner and thereafter will pass a reasoned order. The petitioner shall be appearing before the respondent no. 3, the Engineer-in-Chief, Rural Works Department, Bihar, Patna on 16th January, 2024 at 12 P.M. alongwith the order as also fresh representation and thereafter, the respondent no. 3 shall be free to fix the next date of hearing.

24. Till a decision is taken by the respondent no. 3 on the fresh representation of the petitioner, the Certificate Case No. 66 of 2022-23 pending before the Sub-Divisional Officer cum Certificate Officer, Sheohar shall remain stayed.

25. The writ petition stands disposed of with the aforesaid observations."

प्रश्नगत वाद में पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता/सुशील कुमार द्वारा अपना अभ्यावेदन दिनांक 16.01.2024 को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें याचिकाकर्त्ता को आवंटित कार्य में ATR लगे रहने की सूचना दी गयी है। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि प्रश्नगत कार्य का पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति विभाग द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। निविदा की कार्रवाई की जानी है।

प्रस्तुत मामला माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक– 05.12.2023 को पारित न्यायादेश से अच्छादित है। जिसके तहत विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 1121 दिनांक 20.02.2023 द्वारा इन्हे 10 (दस) वर्षो के लिए किये गये काली सूची आदेश को set aside किया गया है।

संदर्भित मामले में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर एवं संवेदक सुशील कुमार, पिता–महेन्द्र राय, ग्राम–वृन्दावन, थाना–तरीयानी, जिला–शिवहर को प्रश्नगत कार्य से संबंधित पूर्ण साक्ष्यों/अभिलेखों के साथ पुनः सुनवाई की अगली तिथि 05.03.2024 एवं 19.03.2024 को 3.30 अपराह्न में उपस्थित होने का निदेश दिया गया। दिनांक 19.03.2024 को की गयी सुनवाई में दोनो पक्ष उपस्थित थे। संवेदक द्वारा संदर्भित योजना में किये गये कार्य/अपने पावनाओं से संबंधित भुगतान हेतु अनुरोध किया गया साथ ही एकरारनामा संख्याः– SBD/PMGSY/02/2021-22 के आवंटित कार्य में लगे ATR का निराकरण किये जाने के पश्चात् आवंटित कार्य का एकरारनामा बहाल कर पुनः कार्य आवंटित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतएव वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–11226/2023, सुशील कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–05.12.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में संवेदक सुशील कुमार, पिता–महेन्द्र राय, ग्राम–वृन्दावन, थाना–तरीयानी, जिला–शिवहर को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 1121 दिनांक 20.02.2023 द्वारा इन्हे 10 (दस) वर्षो के लिए किये गये कालीकृत (Blacklisted) आदेश को निरस्त (Set aside) किया जाता है तथा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर को निदेश दिया जाता है कि संवेदक के साथ किये गये एकरारनामा संख्याः– SBD/PMGSY/02/2021-22 में पायी गयी त्रुटियो का कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (ATR) हेतु अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

तदनुसार वाद निष्पादित।

19/03/2024

(भगवंत राम)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

बिहार सरकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

निबंधित

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–02–241/2023 2880 /पटना, दिनांक– 10/6/24

प्रतिलिपि– याचिकाकर्ता सुशील कुमार, पिता–महेन्द्र राय, ग्राम–वृन्दावन, थाना–तरीयानी, जिला–शिवहर, पिन कोड–843128 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/4/2024
(इफ्तेखार अहमद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–02–241/2023 2880 /पटना, दिनांक– 10/6/24

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/ सभी नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/4/2024
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–02–241/2023 2880 /पटना, दिनांक– 10/6/24

प्रतिलिपि– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

02/4/2024
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–02–241/2023 2880 /पटना, दिनांक– 10/6/24

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/4/2024
सरकार के उप सचिव